

सीबीईसी-20/16/12/2020-जीएसटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
जीएसटी पॉलिसी विंग

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च, 2020

सेवा में,
केन्द्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/आयुक्त (सभी)
प्रधान महानिदेशक/महाननिदेशक (सभी)
महोदया/महोदय,

विषय: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कंपनियों के लिए जीएसटी कानून के अन्तर्गत मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण के सन्दर्भ में

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (इसमें इसके बाद "आईबीसी" के रूप में संदर्भित) के तहत आने वाली संस्थाओं द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए व्यापार और उद्योग से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

2. आईबीसी के अनुसार, एक बार जब कोई संस्थान एक निश्चित सीमा राशि में चूक करता है, तो कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (इसके बाद "सीआईआरपी" के रूप में संदर्भित) झट प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है और ऐसे संस्थान (निगमित देनदार) और उनकी संपत्ति का प्रबंधन एक अंतरिम समाधान पेशेवर (इसके बाद "आईआरपी" के रूप में संदर्भित है) या समाधान पेशेवर के पास होता है (इसके बाद "आरपी" के रूप में संदर्भित है)। यह दिवाला कार्यवाही समाप्त होने और राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण (इसके बाद "एनसीएलटी" के रूप में संदर्भित) द्वारा एक आदेश पारित होने तक उक्त संस्थान के व्यवसाय और संचालन को एक चालू संस्था के रूप में चलाना जारी रखता है।

3. उपरोक्त समस्याओं के समाधान हेतु, सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 11/2020-केंद्रीय कर, दिनांक 21.03.2020 जारी की गई है, जिसमें केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (इसके बाद "सीजीएसटी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 148 के अन्तर्गत ऐसे निगमित देनदारों, जो आईबीसी के प्रावधानों के सीआईआरपी की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जिनके मामलों का प्रबंधन आईआरपी/आरपी द्वारा किया जा रहा है, के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है। क्षेत्रीय कार्यालयों में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु यह बोर्ड, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई तालिका में विभिन्न मुद्दों का स्पष्टीकरण निम्नलिखित रूप से करता है:-

क्रम सं.	मुद्दा	स्पष्टीकरण
1.	सीआईआरपी से पहले की अवधि के लिए जीएसटी के तहत बकाया राशि का निपटान कैसे किया जाता है?	<p>आईबीसी के प्रावधानों और इस मुद्दे पर विभिन्न कानूनी घोषणाओं के अनुसार, शोधन अक्षमता शुरू होने की तारीख से पहले की अवधि के लिए बकाया के संबंध में निगमित देनदार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सीआईआरपी शुरू होने से पहले की अवधि का बकाया 'परिचालन ऋण' माना जाएगा और आईबीसी के प्रावधानों के अनुसार एनसीएलटी के सक्षम उचित अधिकारी द्वारा दावे दायर किए जा सकते हैं। कर अधिकारी एनसीएलटी के समक्ष दावा दायर करने के लिए निगमित देनदार से की गई/प्राप्त आपूर्ति और लंबित कुल कर बकाया का विवरण मांगेंगे।</p> <p>इसके अलावा, आईबीसी की धारा 14 एक स्थगन अवधि लगाने को अनिवार्य बना देती है, जिसमें निगमित देनदार के खिलाफ मुकदमा दायर करने या लंबित मुकदमों या कार्यवाही को जारी रखना प्रतिबंधित होगा।</p>
2.	क्या निगमित देनदार का जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिया जाना चाहिए?	<p>यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी संस्थान का जीएसटी पंजीकरण जिसके लिए सीआईआरपी शुरू की गई है, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 29 के प्रावधानों के तहत रद्द नहीं किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो, उचित अधिकारी पंजीकरण का निलम्बन कर सकता है। यदि सीआईआरपी की प्रक्रिया से गुजरने वाली किसी संस्था का पंजीकरण पहले से ही रद्द कर दिया गया हो एवं यह पंजीकरण रद्द करने की निरसन अवधि के भीतर हो, यह सलाह दी जाती है कि इस संबंध में ऐसे रद्दीकरण को उपयुक्त उपाय करके पुनः निरसित किया जा सकता है।</p>

3.	क्या आईआरपी/आरपी सीआईआरपी के पूर्व की अवधि का रिटर्न दाखिल करने के लिए उत्तरदायी है?	जी नहीं। आईबीसी, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, आईआरपी/आरपी दिवालियापन की प्रारंभ तिथि के बाद की अवधि के लिए सभी कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बाध्य है। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि आईआरपी/आरपी सीआईआरपी के पूर्व की अवधि के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
<u>सीआईआरपी अवधि के दौरान</u>		
4.	क्या सीआईआरपी अवधि के दौरान निगमित देनदार द्वारा नया पंजीकरण लिया जाना चाहिए?	सीआईआरपी की प्रक्रिया से गुजरने वाले निगमित देनदार को निगमित देनदार का एक अलग व्यक्ति माना जाएगा और आईआरपी/आरपी नियुक्ति के तीस दिनों के भीतर प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में एक नया पंजीकरण लेने के लिए उत्तरदायी होगा जहां निगमित देनदार पहले पंजीकृत था। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहां आईआरपी/आरपी अधिसूचना संख्या 11/2020- केंद्रीय कर, दिनांक 21.03.2020 के जारी होने के पूर्व नियुक्त किए गए थे, वह उक्त अधिसूचना जारी होने के तीस दिनों के भीतर पंजीकरण लेगा, जो आईआरपी/आरपी के रूप में उनकी नियुक्ति की तिथि से प्रभावी होगा।
5.	नया पंजीकरण प्राप्त करने के बाद पहला रिटर्न कैसे दाखिल करें?	आईआरपी/आरपी सीआईआरपी अवधि के दौरान रिटर्न प्रस्तुत करने, कर का भुगतान करने एवं जीएसटी कानून के सभी प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होगा। आईआरपी/आरपी सीजीएसटी अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत, उसके पंजीकरण लेने के लिए उत्तरदायी हो जाने से लेकर जिस दिन उसे पंजीकरण प्रदान किया गया, तक की अवधि के अपने प्रथम रिटर्न को दाखिल करना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
6.	यदि आईआरपी/आरपी को अधिसूचना संख्या 11/2020-केंद्रीय कर, दिनांक 21.03.2020 जारी होने से	माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी विशेष प्रक्रिया में धारा 40 के अंतर्गत पहला रिटर्न प्रस्तुत करते समय आईटीसी का लाभ उठाने की प्रक्रिया का प्रावधान है।

	<p>पहले नियुक्त किया गया है और सीआईआरपी के दौरान आईआरपी द्वारा कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, तो इससे पहले पंजीकृत व्यक्ति को जारी किए गए चालान के लिए आईटीसी का लाभ कैसे दिया जाए?</p>	<p>उक्त वर्ग के व्यक्ति, अपने पहले रिटर्न में, आईआरपी/आरपी के रूप में नियुक्त के बाद से और सीआईआरपी अवधि के दौरान प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति को सम्मिलित करने वाले बीजक के आधार पर जिसमें पूर्ववर्ती पंजीकृत व्यक्ति के जीएसटीआईएन धारण का विवरण हो, पर <u>सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) एवं सीजीएसटी नियमों के नियम 36 के उप-नियम (4) के प्रावधानों को छोड़कर</u> सीजीएसटी अधिनियम के अध्याय V की शर्तों एवं उनके अंतर्गत बने नियमों के अधीन, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के पात्र होंगे। अधिसूचना संख्या 11/2020- केंद्रीय कर, दिनांक 21.03.2020 द्वारा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत प्रस्तावित विशेष प्रक्रिया के अनुसार यह अपवाद केवल सीजीएसटी अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत दाखिल किए गए सिर्फ पहले रिटर्न के लिए ही मान्य होगा।</p>
7.	<p>सीआईआरपी की प्रक्रिया से गुजरने वाले निगमित देनदारों से आपूर्तियों के दौरान प्राप्त बीजकों के आधार पर, ऐसे मामलों में जहाँ आईआरपी/आरपी की नियुक्ति अधिसूचना संख्या 11/2020-केंद्रीय कर दिनांक 21.03.2020 से पूर्व हुई हो, ऐसे व्यक्ति आईटीसी का लाभ कैसे उठा पाएंगे ?</p>	<p>पंजीकृत व्यक्ति जो व्यक्तियों के उक्त वर्ग से आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं, वे आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तिथि से इस अधिसूचना में वांछित पंजीकरण की तिथि अथवा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 30वें दिन की तिथि, दोनों में जो भी पहले हो, की के लिए पूर्ववर्ती पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा अपने जीएसटीआईएन पर जारी बीजकों पर, <u>सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) एवं सीजीएसटी नियमों के नियम 36 के उप-नियम (4) के प्रावधानों को छोड़कर</u>, सीजीएसटी अधिनियम के अध्याय V में अन्तर्निहित शर्तों के अधीन आईटीसी का लाभ उठाने की पात्रता रखेंगे।</p>
8.	<p>कुछ आईआरपी/आरपी ने निगमित देनदार के पूर्ववर्ती पंजीकरण के नकद खाते में राशि जमा कर दिया है। आईआरपी/आरपी द्वारा नकद बहीखाते में जमा की गई कर की राशि के लिए धनवापसी का दावा कैसे करें?</p>	<p>आईआरपी/आरपी द्वारा मौजूदा पंजीकरण में नकद बहीखाते में जमा की गई राशि, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तिथि से उक्त अधिसूचना में प्रस्तावित सीआईआरपी के दौर से गुजर रहे निगमित देनदारों के लिए विशेष प्रक्रिया के अनुपालन की तिथि तक, उक्त राशि के लिए पूर्ववर्ती पंजीकरण की धनवापसी की पात्रता नकद बहीखाते के मद में होगी, भले ही संबंधित फॉर्म जीएसटीआर-3बी/जीएसटीआर-1 उक्त अवधि के लिए दाखिल नहीं किया गया हो।</p> <p>परिपत्र संख्या 125/44/2019-जीएसटी दिनांक 18.11.2019 में निहित अनुदेश इस सीमा तक संशोधित किए हुए माने जायेंगे।</p>

4. अनुरोध है कि इस परिपत्र की विषय-वस्तु को प्रचारित करने के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जाएं।
5. उपरोक्त अनुदेशों के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई हो तो कृपया उसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

(योगेंद्र गर्ग)
प्रधान आयुक्त (जीएसटी)
y.garg@nic.in